Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

उनवान..........पप्पूराम बनाम रामहेत

अपील संख्या 130/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2024	उभयपक्ष अधिवक्ता उप0। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के यहाँ अपीलांट पप्पुराम बनाम रामहेत दावा संख्या 72/06 विचाराधीन था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.14 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। दावे को पुनः नम्बर पर लेने हेतु अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 72/14 पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 13.11.14 को खारिज किया गया। जिसकी निगरानी अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे की गई जिसे माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 7.10.16 के द्वारा प्रस्तुत निगरानी अपील का प्रावधान होने से खारिज कर दी गई। इस प्रकार अपीलांट द्वारा माननीय मण्डल के आदेश की प्रति के साथ यह अपील इस न्यायालय मे दायर की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रस्तुत अपील बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज होने के कारण दावे को पुनः नम्बर पर लेने के लिए पेश की गई है। उभयपक्ष अधिवक्ता मूल दावा संख्या 72/06 को नम्बर पर लेकर मेरिट पर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड को करने पर सहमत है। अतः अपील अपीलांट 1000/–रूपये की कोस्ट पर स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूल दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.11.2024 को उपस्थित होना सुनिश्ति करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल रिकार्ड होवे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner